HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1393/2025
CNR: RJHC020403432025 | URN: CRLAS / 2604U / 2025

Farhan Khan @ Fardin S/o Shri Gul Mohammad, R/o 4303, Mithi Kothi Pahadganj, Ramganj Jaipur North Presently Tenant Jagatpura Kachhi Basti, Police Station Jawahar Circle, Jaipur (Accused Appellant At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Bhagwan Sahay S/o Shri Khemchand, Aged About 29 Years, R/o House N. 6/226, Parshuram Puri Jda Park, Amer Road, Brahmpuri Police Station Brahmpuri District Jaipur City North

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Saini, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/10/2026

अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **14–ए** अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत यह जमानत अपील अधीनस्थ न्यायालय, विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2) जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा **पुलिस थाना रामगंज, जयपुर शहर उत्तर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**469/2021** अपराध अंतर्गत धारा 302, 201, 364, 392, 120 बी भारतीय दंड संहिता व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **21.04.2025,** जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.10.30
10:50:46 IST

483 बी एन एस एस खारिज किया गया है, से व्यथित होकर जमानत का लाभ देने के लिये अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी निर्दोष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, अपीलार्थी दिनांक 26.08.2021 से अभिरक्षा में है, अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है, पांच वर्षों में 33 गवाहान में से मात्र 18 गवाहों के बयान हुए हैं, निकट भविष्य में विचारण पूर्ण होने की संभावना नहीं है, शीघ्र विचारण अभियुक्त को मौलिक संवैधानिक अधिकार है। अतः अपीलार्थी की जमानत अपील स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है :–

1. प्रवीण राठोड बनाम स्टेट आफ राजस्थान, स्पेशल लीव टू अपील (क्रिनिमल) नंबर 6505/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023.
2. साहिल मनोज माचरे बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्रा, स्पेशल लीव टू अपील (क्रिनिमल) नंबर 7502/2026 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2026.
3. घनश्याम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, एस बी क्रिमिनल मिस. चतुर्थ बेल एप्लीकेशन नंबर 4397/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2025.

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत अपील का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता व अपीलार्थी के आपराधिक रिकोर्ड को देखते हुए जमानत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध मृतक खेमचंद की हत्या कारित करने व अन्य अपराधों का आरोप है। अनुसंधान के उपरांत जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसके अनुसार यह अभियोजन कहानी है कि अभियुक्त वर्ष 2018 में अपने सगे भाई के स्वामित्व का वाहन आरजे–45टीए–0372 को लेकर नेपाल गया था, वहां अवैध माल की तस्करी एवं मादक पदार्थ की सप्लाई में गिरफ्तार हुआ और लंबे समय तक

नेपाल में अभिरक्षा में रहा। जमानत पर आजाद होने पर अभियुक्त ने यह पाया कि उक्त वाहन उसके भाई ने खेमचंद को अंतरित कर दिया गया है तो इस रंजिश को लेकर खेमचंद की हत्या कारित करने का आरोप अभियुक्त पर है।

यद्यपि अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि काफी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अत्यधिक गंभीर है तथा उसके विरूद्ध छह आपराधिक प्रकरण पूर्व में भी संस्थित हुए हैं। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वह नेपाल में भी मादक पदार्थ की अवैध तस्करी के मामले में गिरफ्तार रहा है, ऐसी स्थिति में जमानत पर रिहा किये जाने की स्थिति में उसके पलायन और विचारण और अधिक विलंबित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, अभियुक्त का आपराधिक रिकोर्ड भी सुसंगत है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों में कोई सर्वमान्य स्वर्णिम सिद्धांत जमानत के मामले में प्रतिपादित नहीं किया गया है, अपितु यह न्यायालय का विवेकाधिकार है तथा प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अन्यथा भी जमानत के मामलों में पूर्व न्याय निर्णय का सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो अन्वीक्षा विपरीत रूप से प्रभावित हो सकती है।

जहां तक विचारण विलंबित होने का प्रश्न है, इस संबंध में विचारण न्यायालय को समयबद्ध अवधि में विचारण पूर्ण करने का निर्देश दिया जाना उचित होगा।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी **फरहान खान उर्फ फरदीन पुत्र गुल मोहम्मद** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि चूंकि अभियुक्त करीब पांच वर्ष से अभिरक्षा में है, अतः अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक से प्रकरण को लगभग दिन प्रतिदिन सुनवाई

हेतु नियत करते हुए यथासंभव **03 माह** में संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लेखबद्ध कर पांच माह में प्रकरण के निस्तारण का प्रयास करे।

कार्यालय को भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय को आदेश की प्रति प्रेषित करे। विचारण न्यायालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक 15 दिन में प्रकरण के विचारण में जो भी प्रगति हो, उससे इस न्यायालय को अवगत करावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

174/Murari Lal Sharma